न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 399 सन 2018
अनवान :–

1. घनश्याम पुत्र रतिराम जाति ब्रहाम्ण निवासी भंगूली तहसील नोहर।

बनाम वादी

1. ओमप्रकाश 2 नन्दराम 3 महावीर 4 विमला पुत्रगण रतिराम जाति ब्रहाम्ण निवासी भूगली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतसर/नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11/01/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भगूली के खाता संख्या 57/58 के खसरा न0 67 की 6.3230हैक ,खसरा न0 70/1 की 1.0750हैक खसरा न0 116/1 की 1.4670हैक कुल 8.5650हैक जो रतिराम पुत्र राधाकृष्ण के नाम से एवं रोही मौजा भूगली के खाता संख्या 58/59 के खसरा न0 115 की 1.3530हैक, खसरा न0 119 की 5.2860हैक , खसरा न0 186 की 3.2750हैक , खसरा न0 187 की 0.7590हैक खसरा न0 195 की 1.5180हैक कुल 12.1910 है जो सयुक्त तौर से रतिराम पुत्र राधाकिशन के 1/2 हिस्सा दर्ज है। रतिराम पुत्र राधाकिशन एवं उसकी पत्नि का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है।रतिराम पुत्र राधाकिशन ने रोही मौजा लाडम के खसरा न0 313 की 6.160है जो स्वय की खरीदशु, है की अपने जीवनकाल में दिनांक 02.11.2012 को ओमप्रकाश को 1/4 हिस्सा , नन्दराम , धनश्याम बहिब 3/4 हिस्सा की वसीयत की गई थी रतिराम के देहान्त होने पर वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 खातेदार काश्तकार हो गये है।

प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहन हे ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज रतिराम पुत्र राधाकिशन के नाम से दर्ज है रतिराम पुत्र राधाकिशन एवं उसकी पत्नि का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। एवं रतिराम पुत्र राधाकिशन से अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में वसीयत की गई थी रतिराम के देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जा चका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा भगूली के खाता संख्या 57/58 के खसरा न0 67 की 6.3230हैक ,खसरा न0 70/1 की 1.0750हैक खसरा न0 116/1 की 1.4670हैक कुल 8.5650हैक जो रतिराम पुत्र राधाकृष्ण के नाम से एवं रोही मौजा भूगली के खाता संख्या 58/59 के खसरा न0 115 की 1.3530हैक, खसरा न0 119 की 5.2860हैक , खसरा न0 186 की 3.2750हैक , खसरा न0 187 की 0.7590हैक खसरा न0 195 की 1.5180हैक कुल 12.1910 है जो सयुक्त तौर से रतिराम पुत्र राधाकिशन के 1/2 हिस्सा दर्ज है।

रतिराम पुत्र राधाकिशन एवं उसकी पत्नि का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो प्रस्तुत मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है। रोही मौजा लाडम की भूमि की रतिराम पुत्र राधाकिशन से अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में वसीयत की गई थी रतिराम के देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार है जिसे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है एवं वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाडम के खसरा न0 313 की 6.160हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भगूली के खाता संख्या 57/58 के खसरा न0 67 की 6.3230हैक , खसरा न0 70/1 की 1.0750हैक खसरा न0 116/1 की 1.4670हैक कुल 8.8650हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा भगूली के खाता संख्या 58/59 के खसरा न0 115 की 1.3530हैक , खसरा न0 119 की 5.2860हैक , खसरा न0 186 की 3.2750हैक खसरा न0 187 की 0.7590हैक , खसरा न0 195 की 1.5180हैक कुल 12.1910हैक जिसमें सयुक्त तौर से रतिराम का 1/2 हिस्सा दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/11/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official